20.5.21 मामले की [illegible] | [illegible]
[illegible] की गई | प्रार्थी [illegible], प्रार्थी
UP 272 R7 [illegible] की [illegible]
किया जाता है कि [illegible] नियम [illegible] से
निकाला जाकर [illegible] किया जाना | मामले
की [illegible] की जाकर [illegible]
मूल कार्ड के साथ संलग्न है |

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 50/2015

तारीख दायरा 15.12.2015

उनवान

मार्जिना नबीरसूल जाति मुसलमान निवासीनी ग्राम खजूरी ओदपुर हाल निवासी सुल्तानपुर जिला कोटा।

– प्रार्थीनी

बनाम

1. सलीम आत्मज अली मोहम्मद,
2. हनीफ आत्मज अली मोहम्मद,
3. मन्जूर आत्मज अली मोहम्मद
4. शरबत पत्नी अली मोहम्मद,
5. रशीदन पुत्री अली मोहम्मद,
6. नूरजहा पुत्री अली मोहम्मद,
7. जुनैद नाबालिग पुत्र नबीरसूल एवं जुली पिंकी नाबालिग पुत्री नबीरसूल जरिये वली माता नेक परवीन,
8. नेक परवीन पत्नि नबीरसूल जाति मुसलमान निवासी ग्राम खजूरी ओदपुर तहसील सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 54, 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री मोहम्मद शाहिद खान (वकील प्रार्थी)

श्री नाथूलाल नागर (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थीनी के पिता के खाते एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी ग्राम खजूरी ओदपुर पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद में खाता सं. 11 की खसरा नंबर 560 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नंबर 611 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 3.11 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें प्रार्थीया के पिता का हिस्सा निहित होने से प्रार्थीया का हिस्सा निहित है।

- प्रार्थीनी के पिता नबीरसूल का विवाह प्रार्थीनी के माता मुमताज के साथ मुस्लिम रिति रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ था जिसके नुथ्फे से प्रार्थीनी का जन्म हुआ था। प्रार्थीनी के जन्म के दो वर्ष उपरान्त ही प्रार्थीनी के पिता ने प्रार्थीनी की माता को तलाक दे दिया था तब से प्रार्थीनी अपनी माता के साथ निवास कर रही थी। चार पांच वर्ष बाद प्रार्थीनी की माता ने भी दूसरा विवाह कर लिया जब से प्रार्थीनी अपने नाना अब्दुल रहमान के साथ सुल्तानपुर मे निवास कर रही है। प्रार्थीनी के नाना ने भी प्रार्थीया के पिता से खर्चे हेतु तकाजा किया परन्तु प्रार्थीनी के पिता ने अपने जीवन काल में नहीं दिया। प्रार्थीनी के पिता नबीरसूल का देहान्त भी 1.6.2006 को हो गया। प्रार्थीनी के पिता ने दूसरा विवाह नेकपरवीन नामक महिला से जो कि अप्रार्थी सं. 8 है, के साथ कर लिया। जिनके नुथ्फे से 3 संताने उत्पन्न हई। प्रार्थीनी के पिता के देहान्त के बाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी के पिता के हिस्से की आराजी में प्रार्थीनी का नाम नहीं लिखवाया और प्रार्थीनी के पिता के दूसरी पत्नि व पुत्र पुत्रियों का नाम दर्ज करवा लिया।

- प्रार्थीनी अब बालिक हो चुकी है एवं प्रार्थीनी के नाना जो कि एक गरीब व्यक्ति है, प्रार्थीनी का विवाह कर रहे हैं। विवाह के खर्चे हेतु जब अप्रार्थीगण से आज से 15 दिन पूर्व संर्पक किया तो अप्रार्थीगण ने खर्चा देने से मना कर दिया एवं उब उनसे प्रार्थीनी ने अपने हिस्से की जमीन एवं मकान की मांग की तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया।

- प्रार्थीनी ने जब जमीन की नकल निकलवाई तो उसमें प्रार्थीनी का नाम नहीं था। उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उसका फायदा उठाकर उक्त वर्णित आराजी को खुर्दबुर्द व विक्रय करना चाहते हैं, इस कारण प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध विभाजन, घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है।

Scanned with OKEN Scanner

- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय की पारित फरमाई जावें कि विवादित आराजी में प्रार्थीनी के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की अप्रार्थीगण मदाखलत मजामहत नहीं करें, प्रार्थीनी को शांतिपूर्वक काश्त एवं उपयोग उपभोग करने दें तथा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त वर्णित आराजी को रहन, बेय, हस्तान्तरण आदि नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्टों आदि से करावें।

- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की 1 ता 8 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता नाथूलाल नागर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीया की माता मुमताज ने नबीरसूल से तलाक लेकर दूसरी अन्य जगह अन्य पुरूष से निकाह कर लिया था, उसके नुथ्फे से ही मर्जिना पैदा हुई है। मर्जिना के असली पिता हमीद पुत्र कालू खां है क्योकि मुमताज ने हमीद से निकाह कर लिया था इसलिए प्रार्थीया का अप्रार्थीगण की आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं बनता है।

  नबी रसूल की पत्नि नेकपरवीन है, मुमताज पत्नि नही रही है। मात्र झुठी कहानी बनाकर उक्त आराजीयात हडपने की नियत से वाद पत्र पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य है।

- जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।

- मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तो की पालना आवश्यक है –

  1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
  2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
  3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थीया मृतक नबी रसूल की विधिक वारिस है अथवा नहीं इसका निर्णय मूल वाद में तनकीवार साक्ष्य लिया जाकर ही संभव है। प्रार्थीया द्वारा ना तो पत्रावली में एवं ना ही अपनी बहस में ऐसा कोई भी साक्ष्य, गवाह, दस्तावेज आदि प्रस्तुत किया गया है जिससे सिद्ध हो सके की प्रार्थीया विवादित आराजी में हिस्से प्राप्त करने की अधिकारी हैं। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा उसी ग्राम के निवासी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर प्रार्थीया के कब्जे को अस्वीकार किया गया है। प्रार्थीया द्वारा स्वयं को बचपन से अपने नाना के घर सुल्तानपुर में रहना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थित में विवादित आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। विवादित आराजी पर कब्जे का निर्धारण मूल वाद में तनकीवार साक्ष्य, गवाहान के बयानात आदि लिये जाकर संभव हैं। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल नहीं है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

Scanned with OKEN Scanner

नबी रसूल की मृत्यु वर्ष 2006 में ही हो गया थी। नबी रसूल की मृत्यु के लगभग 18 वर्ष का लंबा समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को खुर्दबुर्द नहीं किया गया है, ऐसी स्थित में भविष्य में विवादित आराजी को खुर्दबुर्द करने की मजबूत संभावना प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीया द्वारा इस संबंध में भी किसी प्रकार का साक्ष्य, गवाह, सबूत आदि पेश नहीं किये गये हैं जिससे सिद्ध हो कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी को खुर्दबुर्द करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

—: आदेश :—

➤ उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीन मुख्य बिन्दूओं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीया का नबीरसूल का विधिक वारिस सिद्ध होने के कारण विवादित आराजी में हिस्से का अधिकारी होना प्रश्नगत है जिसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner